

रजिस्टड ए०टी०

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांक: मु. सं. प्र. /आवा/ 526

दिनांक: 20-6-2000

सचिव,
कायिल स्मारक समिति,
कायिल बस्तु, बी० ४९,
लालकोठी स्कैम, जयपुर।

विषय :- डिस्पोजल आँफ प्रोपर्टी रेग्लेशन, 1970 को धारा

34 के अन्तर्गत मण्डल को मान सरोकर प्रोजेक्ट
में आवंटित भूमि जा आवंटन प्रक्र

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि समर्पित आवंटन समिति को दिनांक
14-6-2000 को आपोजित बैठक के नियम विन्दु संघा 10.2 के
अन्तर्गत लिये गये निर्यातुसार मण्डल द्वारा आपको संस्था जो मण्डल को मान सरोकर
प्रोजेक्ट के सेक्टर 1 में 7300 वर्ग मीटर भूमि सूखल

नियम द्वेषु आवंटित जिये जाने वा नियम लिया गया है।
यह आवंटन डिस्पोजल आँफ प्रोपर्टी रेग्लेशन एक्ट, 1970 को क्रमस्त इतरों के
अनुसार होगा।

भूमण्ड को कोमत का विवरण

1. भूमण्ड को कोमत [रु. 700/- प्रतिकर्गमोटर को दर से]	5110,000.00
2. तिविध शर्तों को राशि	127,750.00
3. लोब राशि । एक वर्षों ।	127,750.00
	पांग 53,65,500.00
पूर्व में जमा 2 प्रतिशत राशि । - ।	102,340.00
शेष जमा कराने प्रोग्राम राशि	52,63,160.00

उपरोक्त राशि 52,63,160/- रु. जा डिमाण्ड द्वाप्ट राजस्थान
आवासन मण्डल, जयपुर के नाम ते ब्राह्मण इस पत्र के बारो होने को दिनांक ते
तोन माह को अवधि में सनातन धारान के प्रारा जाए ब्राह्मण वातान को दृष्टोप
प्रति एवं वांछित प्रपत्र पूर्ण लक्ष्य के इस जापतिय में प्रस्तुत करें।

आवंटन की शर्तेः -

III उपरोक्त राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराने पर भूमण्ड जा आवंटन
ब्रित्त जिसे पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जा देगा इस मण्डल

Mugli Modi
Manager
Kapil Gyanpeeth
Mansarovar, JAIPUR

PRINCIPAL
Kapil Gyanpeeth
Mansarovar (JAIPUR) Raj.
Affl. To CBSE NEW DELHI
Affl. No. 1130216 S.O. 6883 19809

:: 2 ::

इस भूमि को किसी अन्य संस्था को आवंटन करने हेतु पूर्ण स्थ में स्वतंत्र होगा।

12। वार्षिकलोज राशि रु. 123,750/- वार्षिक वित्तों में दो - बार जनवरी में जुलाई में जगा कराना होगा। लोज राशि 99 वर्ष तक जगा कराना होगा। संस्था द्वारा 9 वर्ष का बोकार्ड लोज राशि एकमुश्त जगा कराने पर मंडल द्वारा एकमुश्त लोजराशि का प्रमाणपत्र जारी किया जाए सकता है।

13। भूखण्ड का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जावेगा जिसके लिये मंडल ने भूखण्ड आवंटित किया है। किसी अन्य कार्य हेतु भूखण्ड का उपयोग नहीं किया जायेगा और न हो वाणिजिक लाभ क्पाने को दूस्ति से उपयोग किया जायेगा।

14। संस्था को आवंटित भूखण्ड पर आवंटन से पूर्ण करने की अवधि में निम्निकार्य पूर्ण कराना होगा। 2 वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराने पर भूखण्ड व उस पर बैम अधूरे भवन को यदि कोई होगा तो मंडल द्वारा अधि गृहित कर लिया जायेगा जिसका कोई मुआवजा देय नहीं होगा।

यदि शिखण/प्रशिखण संस्था के लिये भूमि का आवंटन हुआ है तो आवंटो संस्था को उक्त आवंटित भूमि पर निर्मित किये जाने वाले विधालय/प्रशिखण संस्थान में मंडल के कर्मचारियों के बच्चों के प्रवेश के लिये 5 प्रतिशत सीटों के आवधित जोडे एवं 50 प्रतिशत शिखण शुल्क ही लिये जाने का प्रावधान रखना होगा।

आवंटित भूखण्ड जो घास दीवारों के निर्माण पर लगने वाला व्यय संस्था को वहन करना पड़ेगा, जिसका निर्माण मंडल द्वारा कराया जावेगा।

प्रतिलिपि :-

- उपभावासन आयुक्त, राज. आवासन मंडल, वृत्त, जयपुर।
- आवासीय अभियन्ता, राज. आवासन मंडल, छंड, जयपुर।

Sirally
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक
T.A. 10 CM
1206.

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

PRINCIPAL
Kapil Gyanpeeth
Mansarovar (JAIPUR) Raj.
Affl. To CBSE NEW DELHI
Reg. No. 1130401000055

राजस्थान आधारन मंडल, जयपुर।

874

क्रमांक: १०. स.प. / जावा / २५/१०/२००८ / ४५४८

दिनांक: २५-१०-२००८

संघीव,.....

कपिल, स्पारक समिति,.....

कपिल-बस्तु, बी०४९, लाल कोठी नक्सा,

जयपुर।...

चिक्षण: डिस्पोजल ग्राफ प्रोपटर्टी रेग्लेशन १९७० को धारा ३४ के अंतर्गत मंडल का मानसरोवर योजना के सेवटर-१... खण्ड १ में आवंटित भूमि का जावेटन पत्र

उपरोक्त विषयाचार्यता नेहा है कि सम्पत्ति जावेटन समिति की दिनांक १८-१०-२००८ को ग्रामोंजित बिठ्ठ के निर्णय बिन्दु संघया २८..... के अंतर्गत लिये गए निर्णयानुसार मंडल द्वारा ग्रामों संघों को मंडल को मानसरोवर..... पोजना के तेकटर... १ में पूर्व अध्यक्षित भूमि के पास क्षेत्र मीटर भूमि विवालय विस्तार।.... निर्माण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह आवंटन डिस्पोजल ग्राफ प्रोपटर्टी रेग्लेशन एक्ट १९७० को समस्त इतों के अनुसार होगा।

भूखण्ड को कोमर का पिंचरण
भूपटे - ७६८ नर्सरीटर

१. भूखण्ड को कोमत रु. ७०/-..... प्रति घर मीटर की दर से ₹६६९३६०.००.....

२. विविध खर्च का राशि २००५१.००.....

३. लक्ष्मि राशि ४४९ घरी को १६७०९.००.....

योग ७०५१५०.००.....


पूर्व में जमा २ प्रतिशत राशि १३३६७.००.....

शेष जमा कराने वायर राशि ६९१७५३.००.....

उपरोक्त राशि ₹६९१७५३/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर के नाम से बनाकर छस पत्र के द्वारा दीने की दिनांक से तोन ग्राह का आध में तंत्रज्ञ धाला के द्वारा जमा कराकर धालान को त्रुतीय प्रति एवं धारांशत पुनर पूर्ण करके छस कार्यालय में प्रस्तुत रहें।

जावेटन की रूपी:-

१। उपरोक्त राशि निर्धारित गवायि में जमा नहीं कराने पर भूखण्ड का जावेटन विना किया पूर्व सूचना के निरस्त कर १द्या जाएगा एवं मंडल


Manager
Kapil Gyanpeeth
Mansarovar, JAIPUR

PRINCIPAL
Kapil Gyanpeeth
Mansarovar (JAIPUR) Raj.
Apt. No. 1002, 10th floor, Mansarovar, Jaipur-302021
Ph. No. 0141 2616000, 0141 2600000

.. 2 ..

इस भूमि को फिरी अन्य संस्था द्वारा ग्राहण करने हेतु पूर्ण स्वरूप संवत्सर होगा ।

॥१२॥ वा छिक्की तीज रात्रि ॥ 1670/-... ग्रहणात्मक निःशर्तों में दो बार जनवरी एवं जुलाई में जमा कराना होगा । तीज रात्रि 99 दर्ती तक जमा कराना होगा ।

संस्था द्वारा 9 दर्ती को बचाया जाए रात्रि सकुल जमा कराने पर मंडल द्वारा सकुल लीजरा का प्रभाष्ट्र जारी किया जा सकता है ।

॥१३॥ भूखण्ड का उपयोग उसों कार्य हेतु किया जावेगा जिसके लिये मंडल ने भूखण्ड आवंटित किया है । किसी भन्ना कार्य हेतु भूखण्ड का उपयोग नहीं किया जायेगा और न ही धार्णिज्यक लाभ कमाने को ट्रूबिंग से उपयोग किया जायेगा ।

॥१४॥ संस्था को जावंत भूखण्ड पर लाभन को तात्पर्य से 2 वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण कराना होगा । 2 वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराने पर भूखण्ड के उस पर बने ग्रामों भवन को धार्द कोहर होगा तो मंडल द्वारा ग्रामिणादित कर लिया जायेगा जिसका कोई मुआद्दा देख नहीं होगा ।

॥१५॥ यदि शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाके लिये भूमि का आवंटन होआ है तो आवंटी संस्था को उक्त आवंटित भूमि पर निर्मित किये जाने वाले विद्यालय/प्रशिक्षण गंतव्यान में मंडल के कर्मदारियों के बच्चों के प्रवेश के लिये 5 प्रतिशत सौटों के ग्रारक्षित कोटे सब 50 प्रतिशत शिक्षण शुल्क ही लिये जाने का प्रावधान रखना होगा ।

॥१६॥ आवंटित भूखण्ड की पार दीवारों के निर्माण पर लगने वाला क्षेत्र संस्था को बहन करना पड़ेगा, जिसका निर्माण मंडल द्वारा कराया जायेगा ।

प्रतिलिपि-

1. उप आवासन आयुष्टि, राज. आवासन मंडल, हुत्ता. नैदीय, ..., जम्पुर

2. ग्रामार्थीय आमंत्रा, राज. आवासन मंडल, खण्ड., जम्पुर

3- वरिष्ठ नगर नियोजक, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।

Snally
तकनीकी सूचिपत्र (जावंत भूमि)
संबंध संस्करण - संचित

Call
तकनीकी सूचिपत्र (जावंत भूमि)
संबंध संस्करण - संचित

Mujjodi
Manager
Kapil Gyanpeeth
Mansarovar, JAIPUR

24/23
PRINCIPAL
Kapil Gyanpeeth
Mansarovar (JAIPUR) Raj.
Aff. To CBSE NEW DELHI
A/c. No. 173315 S. J. 06891 10005